न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **94/2021** अन्तर्गत धारा 86(क) RLR Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
पदमाराम पुत्र नीम्बाराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– प्रार्थी अधिवक्ता :– श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 12.09.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के तहत चलायमान बारहमासी व कदीमी रास्तों पर आवागमन हेतु उसका रेकर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ऐसे रास्ते जो वक्त भू प्रबंध आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध थे, किन्तु उनका राजस्व रेकर्ड में अंकन नही हो सका, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/42 दिनांक 01.01.2017 को जारी किया गया। उक्त आदेश के तहत ग्राम हनुमानपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 966/857 में से रास्ता कायम करने में विधिक भूल होने पर उक्त रास्ता प्रस्तावित कर दिया गया जिसमे प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 966/857 में से मार्क ए से बी स्थान पर आवागमन हेतु कोई चलायमान या कदीमी रास्ता नहीं रहा है तथा न ही वर्तमान में कोई चलायमान रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी की खातेदारी जोत में से अन्य रास्ता कटाण है, जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा आवगमन हेतु उपयोग लिया जा रहा है। उक्त मार्क ए से बी तक रास्ता निरस्त करने से कोई खातेदार अथवा आमजन प्रभावित नहीं हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर ऐसे रास्ते जो गांव के एक छोर को दूसरे छोर तक परम्परागत व कदीमी तथा पुराने चलायमान रास्तों को कटाण करने हेतु जारी किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी से अन्य चलायमान कटाण रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अन्य रास्ता कटाण करना अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये रास्ता का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें मार्क ए से बी तक कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थान पर प्रार्थी की तारबंदी की हुई है तथा बड़े बड़े वृक्ष मौजूद है। चूंकि प्रार्थी की खातेदारी से ही दोनो तरफ मार्क सी से डी व ए से एफ तक रास्ते कटाण होने के उपरांत उक्त मार्क ए से बी रास्ता कटाण किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर कटाण किया गया है, जिसे प्रार्थी प्रभावित हो रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खातेदारी खेत से मार्क ए से बी स्थान पर कटाण किये गये रास्ता को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थना पत्र पंजीयन किया जाकर विप्रार्थी तहसीलदार शिव से विवादित रास्ता भूमि के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर ग्राम उण्डू से हनुमानपुरा डामर सड़क को हनुमानपुरा मुख्यालय राउप्रावि हनुमानपुरा तक रास्ता चलता है, जो कदीमी है। उक्त रास्ते पर वर्तमान मे ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा उक्त रास्ता खेत खसरा नम्बर 966/857 व 931/858 की सीमा से गैर मुमकिन रास्ता से गुजरता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 1009/699 रकबा 0.080 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खातेदार पदमाराम पुत्र नीम्बाराम की खातेदारी में दर्ज है, जो नक्शा में मार्क एबीसी के रूप में दर्ज है। उक्त रास्ता कटाण उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक/राज/2017/213 दिनांक 01.01.2017 की पालना में दर्ज किया गया हैं। उक्त कटाण रास्ता में बिन्दु बी व सी के उपर उक्त रास्ता चल रहा है। आवेदक के खसरा नम्बर 966/857 व पड़ौसी खसरा नम्बर 930/858 के मध्य कोई रास्ता नहीं चल रहा है तथा न ही पूर्व में कोई रास्ता था। इस प्रकार बिन्दू बी से सी तक कदीमी रास्ता है, जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा बिन्दू ए से बी कोई रास्ता नहीं है, जिसे भूलवंश दर्शाया गया है। बिन्दु ए से बी के मध्य रास्ते का रकबा 0.0404 हैक्टेयर है, जो आवेदक खातेदार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:03:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

कृषि भूमि का हिस्सा है। मौके व कब्जा काश्त एवं मौतबिरान से पूछताछ में भी बिन्दू ए से बी कृषि भूमि तथा बिन्दू बी से सी कदीमी रास्ता होना पाया गया है तथा उपस्थित खातेदारान् व पड़ौसियान द्वारा सहमति प्रदान की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बिन्दू ए से बी तक कोई रास्ता चलायमान रास्ता नहीं होने पर प्रार्थी के खातेदारी खेत से मार्क ए से बी स्थान पर कटाण किये गये रास्ता को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने आवेदन के तथ्यों पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली व तहसीलदार शिव द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। उक्त आवेदन में राज्य सरकार द्वारा जनहित में एक परिपत्र संख्या प.3(2)राज./6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देश पारित किये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के तहत चलायमान बारहमासी रास्तों पर आवागमन हेतु उसका रेकर्ड में अंकन किया जाना था, किन्तु उक्त राजस्व आवेदन में पारित आदेश में चलायमान रास्ता नहीं होने के बावजूद भी रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है। उक्त के संबंध में तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर ग्राम उण्डू से हनुमानपुरा डामर सड़क को हनुमानपुरा मुख्यालय राउप्रावि हनुमानपुरा तक रास्ता चलता है, जो कदीमी है। उक्त रास्ते पर वर्तमान मे ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा उक्त रास्ता खेत खसरा नम्बर 966/857 व 931/858 की सीमा गैर मुमकिन रास्ता से गुजरता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 1009/699 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खातेदार पदमाराम पुत्र नीम्बाराम की खातेदारी मे दर्ज है, जो संलग्न नक्शा में मार्क एबीसी के रूप में दर्ज है। उक्त रास्ता कटाण उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक/राज/2017/213 दिनांक 01.01.2017 की पालना में दर्ज किया गया हैं। उक्त कटाण रास्ता में बिन्दु बी व सी के उपर उक्त रास्ता चल रहा है। आवेदक के खसरा नम्बर 966/857 व पड़ौसी खसरा नम्बर 930/858 के मध्य कोई रास्ता नहीं चल रहा है तथा न ही पूर्व में कोई रास्ता था। इस प्रकार बिन्दू बी से सी तक कदीमी रास्ता है, जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा बिन्दू ए से बी कोई रास्ता नहीं है, जिसे भूलवंश दर्शाया गया है। बिन्दु ए से बी के मध्य रास्ते का रकबा 0.0404 हैक्टेयर है, जो आवेदक खातेदार की कृषि भूमि का हिस्सा है। मौके व कब्जा काश्त एवं मौतबिरान से पूछताछ में भी बिन्दू ए से बी कृषि भूमि तथा बिन्दू बी से सी कदीमी रास्ता होना पाया गया है। अतः उक्त स्थिति में बिन्दू ए से बी तक किसी प्रकार का चलायमान रास्ता उपलब्ध नही होने तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि से अन्य कदीमी चलायमान कटाण रास्ता उपलब्ध होने से मार्क ए से बी तक कटाण रास्ता निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा हनुमानपुरा, तहसील शिव में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 966/857 में तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बिन्दु ए से बी कोई रास्ता नहीं होने तथा उक्त बिन्दू ए से बी के मध्य रास्ते का रकबा 0.0404 हैक्टेयर है, जो प्रार्थी खातेदार की कृषि भूमि का हिस्सा है, को पुनः प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को निर्देश दिये जाते है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार मौका रिपोर्ट एवं उसके संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:03:50 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)